रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22, 1993/वैशाख 2, 1915
No. 238] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 22, 1993/VAISAKHA 2, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1993

का. आ. 262 (अ):—केन्द्रीय सरकार, दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दरगाह समिति अजमेर के परामर्श से श्री एम. ए. सत्तार (भा. प्र. से.) (मध्य : 84)

को तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक के लिए दरगाह ख्वाजा साहब का नाजिम नियुक्त करती है।

[सं. 11(3)/91—वक्फ]

एम एस. पण्डित, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 1993

S.O. 262(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Durgah Khwaja Saheb, Act, 1955 (36 of 1955), the Central Government, in consultation with the Durgah Committee, Ajmer, hereby appoints Shri M. A. Sattar, IAS (MT) : 84) as Nazim of the Durgah Khwaja Saheb. Ajmer, with immediate effect until further orders.

[No. 11|3|91-Wakf]

M. S. PANDIT, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993